खुलासा — मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान घोटाले का मामला, वार्ड ब्वॉय, नर्स की जगह बाबुओं को दिया गया था लाभ

प्रोत्साहन राशि देने से पहले बाबुओं से भरवाया गया था शपथ पत्र

नवभारत,जबलपुर। नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना के तहत घोटाले में मंगलवार को एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। तत्कालीन डीन के हस्ताक्षर वाले इस वायरल पत्र ने मेडिकल प्रबंधन पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। अब मौजूदा डीन डॉ. नवनीत सक्सेना पर कार्रवाई करने की नजर टिकीं हुई हैं कि क्या घोटाले में जुड़े दोषियों पर गाज गिरती है या फिर उन्हें प्रबंधन द्वारा बचाकर ले जाया जाएगा , इस पर सवाल अभी बरकरार है।

वायरल पत्र के अनुसार मेडिकल कॉलेज प्रशासन को पहले से ही योजना में हुई वित्तीय गड़बड़ियों की जानकारी थी और उसी के चलते संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से बचाव के तौर पर शपथ पत्र भरवाए गए थे। सूत्रों की माने तो शपथ पत्र भरवाने का यह कदम प्रशासन द्वारा स्वयं को भविष्य की कार्रवाई से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया हो सकता है। जानकारों का मानना है कि यदि किसी योजना के भुगतान में पारदर्शिता और नियमों का पालन हुआ होता, तो इस प्रकार शपथ पत्र लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यही कारण है कि अब इस पूरे मामले को मेडिकल कॉलेज में हुए एक बड़े वित्तीय घोटाले के रूप में देखा जा रहा है।

2023 का पत्र बना सबसे बड़ा सबूत

जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 का एक आधिकारिक पत्र सामने आया है, जिसमें तत्कालीन डीन द्वारा मेडिकल कॉलेज के 75 अधिकारियों, कर्मचारियों और बाबुओं से शपथ पत्र भरने के निर्देश जारी किए गए थे। बताया जा रहा है कि ये वही लोग थे, जिन्हें आयुष्मान योजना के तहत कथित

रूप से नियमों के विरुद्ध राशि का भुगतान किया गया था। इस पत्र के सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन की कार्यप्रणाली और उस समय पदस्थ जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

अब भी बना हुआ है रहस्य

हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जिन 75 अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ पत्र भरने के लिए कहा गया था, उनमें से कितनों ने वास्तव में दस्तावेज जमा किए थे। लेकिन इस पत्र के सार्वजनिक होने के बाद यह बात लगभग तय मानी जा रही है कि आयुष्मान योजना के नाम पर मेडिकल कॉलेज में भारी वित्तीय अनियमितता की गई थी।

ये है मामला

जानकारी के अनुसार पूरा मामला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वर्ष 2021 से 2022 के बीच का है जिस समय तत्कालीन डीन डॉ गीता गुईन थीं। आरोप है कि इन्होंने नियम विरूद्ध तरीके से शासन से मिलने वाली आयुष्मान योजना की प्रोत्साहन राशि को वितरित किया है। नियमायुसान ये प्रोत्साहन राशि मेडिकल की नर्स, वार्ड बॉय को मिलना चाहिए थी लेकिन डीन के हेरफेर के चलते ये राशि मेडिकल डीन, अधीक्षक कार्यालय के बाबुओं, लेखापाल को वितरित कर दी गई थी जिसके बाद आयुष्मान योजना की राशि का घोटाला उजागर हो गया था। मेडिकल के सूत्रों की माने तो भविष्य में कोई खतरा उत्पन्न न हो इसके लिए प्रोत्साहन राशि देने वालों से शपथ पत्र भी भरवाए गए थे।

कई बड़े नाम आ सकते हैं सामने

मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय स्तर पर अब इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है। कयाय लगाए जाने लगे हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच अगर हुई तो कई बड़े नाम भी इस घोटाले में सामने आ सकते हैं।

इनका कहना है

आयुष्मान भारत योजना की प्रोत्साहन राशि के घोटाले को लेकर दस्तावेजों व अन्य पहलुओं की बारीकी से जांच करने जांच कमेटी का गठन जल्द किया जाएगा और जांच रिपोर्ट में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. नवनीत सक्सेना
डीन, मेडिकल कॉलेज जबलपुर

सुनवाई का अवसर नहीं देना मौलिक अधिकारों का हनन

एफआईआर दर्ज होने पर बर्खास्त किये गये संविदा कर्मचारी को हाईकोर्ट से राहत

जबलपुर। हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा है कि सुनवाई का अवसर दिये बिना बर्खास्त किया जाना मौलिक अधिकारों का हनन है। हाईकोर्ट जस्टिस विशाल घगट की एकलपीठ ने एफआईआर दर्ज होने तथा 48 घंटो से अधिक निरूध्द रहने के कारण संविदा कर्मचारी को नौकरी के हटाये जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है।

सिहोर निवासी गोपाल सिंह की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि उसकी नियुक्ति संविदा कर्मचारी के रूप में ग्राम कुंडियानातु में ग्राम रोजगार सहायक पद पर साल दिसम्बर 2012 को हुई थी। इस बाद उसके खिलाफ एक अपराधिक प्रकरण दर्ज होने के कारण सीईओ जनपद पंचायत आष्टा ने उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया। जिसके खिलाफ उसने कलेक्टर के समक्ष अपील दायर की थी। कलेक्टर ने अपने आदेश में माना कि मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा जारी निर्देशों के क्लॉज 16(1) में, यह साफ तौर पर लिखा है कि अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज होने पर उसे 48 घंटे से ज्यादा जेल में रखा जाता है, तो संविदा सेवा को समाप्त किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता को न्यायालय ने अपराधिक प्रकरण में दोषमुक्त कर दिया था। जिसके खिलाफ उसने संभागायुक्त के समक्ष आवेदन दायर किया था। संभागायुक्त ने उसके आवेदन को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी का डर था, इसलिए वह ग्राम पंचायत को बताए बिना गैरहाजिर रहा। धारा 18(6) में उल्लेख है कि अगर कोई संविदा कर्मचारी बिना इजाजत के एक महीने से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सेवा अपने आप खत्म हो जाएगी। कलेक्टर के द्वारा पास किए गए ऑर्डर को देखने पर पता चला कि पिटीशनर 30 अक्टूबर 2013 से अनुपस्थि था और बर्खास्ती आदेश 09 नवम्बर 2013 को जारी किया गया था। याचिकाकर्ता बिना जानकारी के 30 दिन से ज्यादा ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं था। एकलपीठ याचिका का निराकरण करते हुए अपने आदेष में कहा है कि ने 18(6) के तहत कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले, ग्राम रोजगार सहायक को गैरहाजिरी का कारण पूछते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। याचिकाकर्ता के जवाब पर विचार करने और कानून के अनुसार नए ऑर्डर जारी किये जाये।

अब वेटरनरी यूनिवर्सिटी से छीना गया कृषि विज्ञान केंद्र

विरोध के स्वर उठे जनसंगठनों ने जताई आपत्ति

नवभारत,जबलपुर। जबलपुर वेटरनरी यूनिवर्सिटी के साथ एक बार फिर से अन्याय हुआ है इसको लेकर अब विरोध के स्वर उठने लगे हैं। जानकारी के अनुसार जबलपुर वेटरनरी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत विदिशा में स्थापित होने वाले कृषि विज्ञान केंद्र को उससे छीनकर भोपाल में आयसीएआर की संस्था को प्रदान किया गया है। वहीं पिछले 6 वर्ष पूर्व में इस यूनिवर्सिटी में ग्राम इमलिया में डेयरी साइंस कालेज खोलने के लिए भूमि तथा बजट आवंटित किया गया था, लेकिन अब उसे जबलपुर से छिनकर उज्जैन में स्थापित किया गया है। जनसंगठनों ने म.प्र.शासन के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर मामले की उच्चस्तरीय जाँच की मांग की है।

डॉ. पी.जी. नाजपांडे ने नवभारत को बताया कि समूचे भारत में जबलपुर वेटरनरी यूनिवर्सिटी ही एक मात्र विश्वविद्यालय है, जहाँ उसके पास एक भी कृषि विज्ञान केंद्र नहीं है, जबकि इस विश्वविद्यालय के स्थापना को अब 15 वर्ष बीत चुके हैं।

विखण्डन की आशंका

वेटरनरी यूनिवर्सिटी से संस्थायें छीनकर उन्हें उज्जैन और भोपाल में स्थापित करने से जबलपुर वेटरनरी यूनिवर्सिटी के विखण्डन की आशंका निर्माण हो रही है। जनसंगठनों ने आंदोलन करने का निर्णय लेकर विरोध दर्शाना तय किया है। इस संबंध में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें डॉ. पी.जी. नाजपांडे, रजत भार्गव, टी. के. रायघटक, डी. के. सिंग, सुभाष चंद्रा, सुशिला कनौजिया, गीता पांडे, एड. वेदप्रकाश अधौलिया, डी.आर. लखेरा, संतोष श्रीवास्तव, एड.जी.एस. सोनकर, पी.एस. राजपूत आदि उपस्थित थे।

ट्रक में फंसकर 50 मीटर तक घिसटी महिला की मौत, परिजनों ने घेरा थाना, बोले एक्सीडेंट नहीं, हत्या हुई

छानबीन में जुटी पुलिस

जबलपुर। तिलवारा थाना अंतर्गत लम्हेटा बाईपास पर सोमवार रात तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने स्कूटी सवारों को कुचल दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी पर पीछे बैठी महिला ट्रक के नीचे फंस गई और काफी दूर तक घिसटती चली गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि स्कूटी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मंगलवार दोपहर मामले में नया मोड उस वक्त आ गया जब मृतिका के परिजनों ने पीएम के बाद थाने का घेराव कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है, एक्सीडेंट नहीं हुआ है। आक्रोशित परिजनों ने जमकर प्रदर्शन किया और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। पुलिस ने परिजनों ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया जिसके बाद परिजन माने और प्रदर्शन समाप्त हुआ।

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार अनिल पचौरी निवासी खालसा टिंबर के सामने, गंगासागर गढ़ा अपनी स्कूटी क्रमांक एमपी 20 जेड एफ 4489 पर स्वरूपा झारिया 38 वर्ष को बैठाकर अपने फार्म हाउस चौकीताल जा रहे थे। रात लगभग 10 बजे जैसे ही वे लम्हेटा बाईपास चौराहे के पास पहुँचे, अंधमूक बाईपास की ओर से आ रहे एक अज्ञात ट्रक चालक ने लापरवाही और तेज गति से चलाते हुए स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों सड़क पर जा गिरे। अनिल पचौरी को गंभीर चोटें आईं, लेकिन स्वरूपा झारिया सीधे ट्रक के पहियों के पास जा गिरीं। ट्रक चालक ने वाहन रोकने के बजाय रफ्तार बढ़ा दी, जिससे स्वरूपा ट्रक के निचले हिस्से में फंसकर सड़क पर घिसटती चली गईं। स्वरूपा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उनकी स्कूटी भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है।

पीएम के बाद एम्बुलेंस में शव लेकर पहुंचे थाने

घटना की सूचना मिलते ही मृतिका के भाई दीपक झारिया और अन्य परिजन मौके पर पहुँचे। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुँचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उधर मंगलवार को पीएम होने के बाद परिजन दोपहर 1:15 बजे शव को एम्बुलेंस में रखकर तिलवारा थाने पहुंचे और प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोप लगाया कि हत्या को एक्सीडेंट में बदला गया है। करीब दो घंटे तक परिजन कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद पुलिस के आश्वासन के बाद माने।

मां को धक्का दिया, दबाव का आरोप

मृतक की बड़ी बेटी खुशी झारिया ने आरोप लगाया है कि सुनियोजित तरीके से मां की हत्या की गई है। उसने कहा किअगर एक्सीडेंट हुआ तो सिर्फ मां की ही क्यों मौत हुई। स्कूटी चालक पचौरी को कुछ क्यों नहीं हुआ। चलती गाड़ी से मां को धक्का दिया गया है। मृतका स्वरुपा झारिया करीब तीन साल से अनिल पचौरी के फार्म हाउस में काम करती थी। 6 महीने पहले उसने काम छोड़ दिया था लेकिन उस पर लगातार काम का दबाव बनाया जा रहा था। मजबूरी में स्वरूपा काम कर रही थी। मामले की निष्पक्ष जांच हो।

जांच के बाद होगी कार्रवाई

तिलवारा थाना प्रभारी ब्रजेश मिश्रा ने बताया कि मामला एक्सीडेंट का है। परिजनों के आरोप है जिसके चलते हर एंगल पर जांच चल रही है। पुलिस क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि टक्कर मारकर फरार हुए ट्रक और उसके चालक की पहचान की जा सके इसके साथ ही आरोपों की जांच चल रही है अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो आगे की कार्रवाई होगी।

40 डिग्री को छूने बेताब हुआ पारा, सूर्यदेव ने झुलसाया, लू की चपेट में शहर

जबलपुर। शहर की चपेट में आ गया है। मंगलवार को को पारा 40 डिग्री को छूने को बेताब हुआ। सूर्यदेव ने दिनभर लोगों को झुलासा।चिलचिलाती धूप ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। सूरज के उग्र होने से दिनभर गर्मी ने तेवर दिखाए। कूलर, पंखे बिना रहना मुश्किल था। मौसम विभाग की माने तो गर्मी का सितम अभी और बढ़ेगा। 18 अप्रैल तक जिले में दिन एवं रात का तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस एवं 22 से 24 डिग्री सेल्सियस चढ़ने की संभवना है। इसके साथ ही एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ 15 अप्रैल की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है।

ऐसा रहा तापमान

मंगलवार को अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामा न्य से 1 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 3 डिग्री कम रहा। सुबह के वक्त आद्रता 34 और शाम को 24 प्रतिशत दर्ज की गई। उत्तर-पश्चिमी हवाएं 5 से 6 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चली।

ये सिस्टम है सक्रिय

मौसम विभाग की माने तो एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण, दक्षिण-पूर्व पाकिस्तान और संलग्न राजस्थान के ऊपर माध्य समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। उत्तर-पश्चिम भारत के ऊपर, माध्य समुद्र तल से 12.6 किमी की ऊँचाई पर, लगभग 204 किमी, घंटा की गति उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाएं बह रही है।

दोपहर को सड़कों पर पसरा सन्नाटा

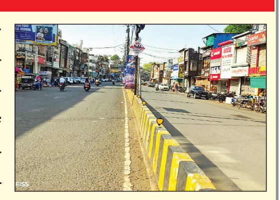

अभी अप्रैल का माह आधा ही गुजरा है और चिलचिलाती धूप व गर्मी ने लोगो को बेहाल करना शुरू कर दिया है। दोपहर 12 बजे से चलने वाली गर्म हवाओ के कारण इन दिनों नगर की सड़कें सूनी हो चली है। एक ओर जहां वैवाहिक सीजन शुरू होने वाला है तो वहीं दूसरी ओर तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण लोग घरों में ही दुबक रहना पसंद कर रहे हैं। नगर की सड़कें दोपहर में सूनी हो जाती है। मंगलवार दोपहर तीन पत्ती चौक पर दोपहर 3 बजे सन्नाटा पसरा हुआ था। बिना किसी आवश्यक एवं जरूरी कार्य के लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। दिनों दिन बढ़ते तापमान के कारण लोगों के घरों में कूलर और एसी का चलना प्रारंभ हो गया है। वही शहर की दुकानों में भी ग्राहकों की कमी दिखाई देने लगी है। जबकि बाहर किसी कार्य से निकलने वाले राहगीर अपने शरीर को गमछे, टोपी और चश्मे से ढक कर ही निकल रहे हैं।

रिटायर्ड वैज्ञानिक को करो दस लाख का भुगतान

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय को निर्देश दिए हैं कि सेवानिवृत्त वरिष्ठ वैज्ञानिक को आदेश के अनुरूप डीसीआरजी (डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी) की 10 लाख रुपए की राशि का भुगतान करें। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने यह भी पूछा है कि डीसीआरजी की बढ़ी हुई राशि क्यों नहीं दी जा रही है। इस मामले में विश्वविद्यालय के कुलगुरू, कुलसचिव और कंट्रोलर ऑफ एकाउंट्स को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है। दरअसल यह मामला जेएनकेविवि जबलपुर से सेवानिवृत्त सीनियर साइंटिस्ट डॉ. हरिशंकर राय की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता अजय रायजादा, अंजना श्रीवास्तव एवं अमित रायजादा ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता जनवरी 2023 में सेवानिवृत्त हुआ और उसके बाद सीपीएफ के अलावा उन्हें कोई राशि नहीं दी गई। राज्य शासन ने अक्टूबर 2017 को एक आदेश जारी कर डीसीआरजी की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी है। जीवाजी, रानी दुर्गावती विवि, इंदिरा गांधी कृषि विवि सहित प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों में बढ़ी हुई राशि दी जा रही है, लेकिन जेएनकेविवि में नहीं दी जा रही है।

निष्पक्ष लेखनी के लिये विख्यात वरिष्ठ पत्रकार मोहन शशि का निधन

सामाजिक, बौद्धिक व पत्रकारिता जगत में शोक की लहर

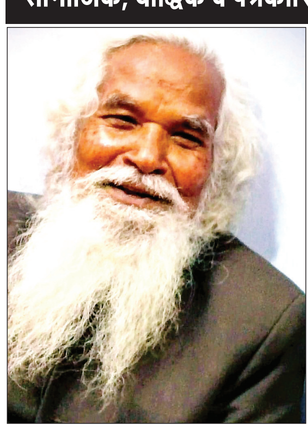

नवभारत,जबलपुर। शहर के वरिष्ठ पत्रकार, प्रख्यात लेखक और समाजसेवी मोहन शशि का लंबी बीमारी के बाद 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके निधन से पत्रकारिता जगत सहित सामाजिक और बौद्धिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। विदित हो कि दमोहनाका स्थित शांति नगर निवासी मोहन शशि ने अपने जीवन का अधिकांश समय पत्रकारिता और समाजसेवा को समर्पित किया था और वे अपनी निष्पक्ष लेखनी, स्पष्ट विचारधारा और सामाजिक मुद्दों पर मुखर भूमिका के लिए जाने जाते थे। उन्होंने न केवल पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई, बल्कि लेखन के माध्यम से समाज को जागरूक करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। मंगलवार दोपहर को उनका अंतिम संस्कार रानीताल मुक्तिधाम में किया गया। इस दौरान पत्रकार जगत, राजनीतिक क्षेत्र, व्यापारिक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सभी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया।

श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने कहा कि मोहन शशि का व्यक्तित्व सरल, सहज और प्रेरणादायक था। उन्होंने हमेशा समाज के कमजोर वर्गों की आवाज उठाई और अपने लेखों के माध्यम से जनहित के मुद्दों को प्रमुखता दी। उनके निधन को शहर के लिए अपूरणीय क्षति बताया जा रहा है। वे अपने पीछे समृद्ध वैचारिक विरासत छोड़ गए हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगी।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57